



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112021-230923
CG-DL-E-03112021-230923

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4184]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 2021/कार्तिक 10, 1943

No. 4184]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 2021/KARTIKA 10, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2021

का.आ. 4545(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में NH965 के कि.मी. 226 से कि.मी. 269.533 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब डिविशनल ऑफिसर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि

कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में NH965 के कि.मी. 226 से कि.मी. 269.533 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: पुणे			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: हवेली					
गांव का नाम: फुरसुंगी					
1	144	निजी	एग्रीकल्चर	0.1578000(हेक्टेयर)	0.1578000
2	159	निजी	एग्रीकल्चर	0.0514000(हेक्टेयर)	0.0514000
3	166	निजी	एग्रीकल्चर	0.0201000(हेक्टेयर)	0.0201000
4	167	निजी	एग्रीकल्चर	0.0435000(हेक्टेयर)	0.0435000
5	176	निजी	एग्रीकल्चर	0.0015000(हेक्टेयर)	0.0015000
6	181	निजी	एग्रीकल्चर	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
7	183	निजी	एग्रीकल्चर	0.0231000(हेक्टेयर)	0.0231000
8	185	निजी	एग्रीकल्चर	0.0303000(हेक्टेयर)	0.0303000
9	186	निजी	एग्रीकल्चर	0.0157000(हेक्टेयर)	0.0157000
10	187	निजी	एग्रीकल्चर	0.0585000(हेक्टेयर)	0.0585000
11	188	निजी	एग्रीकल्चर	0.1272000(हेक्टेयर)	0.1272000
12	189	निजी	एग्रीकल्चर	0.1727000(हेक्टेयर)	0.1727000
13	190	निजी	एग्रीकल्चर	0.2769000(हेक्टेयर)	0.2769000
14	191	निजी	एग्रीकल्चर	0.1065000(हेक्टेयर)	0.1065000
15	207	निजी	एग्रीकल्चर	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
गांव का नाम: वडकी					
1	1199	निजी	एग्रीकल्चर	0.2080000(हेक्टेयर)	0.2080000

2	1202	निजी	एग्रीकल्चर	0.0116000(हेक्टेयर)	0.0116000
3	1232	निजी	एग्रीकल्चर	0.0735000(हेक्टेयर)	0.0735000
4	1233	निजी	एग्रीकल्चर	0.0681000(हेक्टेयर)	0.0681000
5	1286	निजी	एग्रीकल्चर	0.0122000(हेक्टेयर)	0.0122000
6	1288	निजी	एग्रीकल्चर	0.0198000(हेक्टेयर)	0.0198000
7	1289	निजी	एग्रीकल्चर	0.0104000(हेक्टेयर)	0.0104000
8	1290	निजी	एग्रीकल्चर	0.0376000(हेक्टेयर)	0.0376000
9	1295	निजी	एग्रीकल्चर	0.0023000(हेक्टेयर)	0.0023000
10	1298	निजी	एग्रीकल्चर	0.0379000(हेक्टेयर)	0.0379000
11	1299	निजी	एग्रीकल्चर	0.0634000(हेक्टेयर)	0.0634000
12	1300	निजी	एग्रीकल्चर	0.0490000(हेक्टेयर)	0.0490000
13	1301	निजी	एग्रीकल्चर	0.0057000(हेक्टेयर)	0.0057000
14	1308	निजी	एग्रीकल्चर	0.0035000(हेक्टेयर)	0.0035000
15	1310	निजी	एग्रीकल्चर	0.1281000(हेक्टेयर)	0.1281000
16	620	निजी	एग्रीकल्चर	0.0140000(हेक्टेयर)	0.0140000
17	621	निजी	एग्रीकल्चर	0.0006000(हेक्टेयर)	0.0006000
18	627	निजी	एग्रीकल्चर	0.1004000(हेक्टेयर)	0.1004000
19	789	निजी	एग्रीकल्चर	0.1844000(हेक्टेयर)	0.1844000
कुल				2.1257	2.1257

[फा. सं. NHAI/PIU/PUNE/PALAKHI MARG/LA/2017/3A2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st November, 2021

S.O. 4545(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH965 in the stretch of land from Km. 226 to Km. 269.533 in the district of PUNE in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH965 in the stretch of land from Km. 226 to Km. 269.533 in the district of PUNE in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA		District: PUNE			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Haveli					
Village: Fursungi					
1	144	Private	Agriculture	0.1578000(Hectare)	0.1578000
2	159	Private	Agriculture	0.0514000(Hectare)	0.0514000
3	166	Private	Agriculture	0.0201000(Hectare)	0.0201000
4	167	Private	Agriculture	0.0435000(Hectare)	0.0435000
5	176	Private	Agriculture	0.0015000(Hectare)	0.0015000
6	181	Private	Agriculture	0.0050000(Hectare)	0.0050000
7	183	Private	Agriculture	0.0231000(Hectare)	0.0231000
8	185	Private	Agriculture	0.0303000(Hectare)	0.0303000
9	186	Private	Agriculture	0.0157000(Hectare)	0.0157000
10	187	Private	Agriculture	0.0585000(Hectare)	0.0585000
11	188	Private	Agriculture	0.1272000(Hectare)	0.1272000
12	189	Private	Agriculture	0.1727000(Hectare)	0.1727000
13	190	Private	Agriculture	0.2769000(Hectare)	0.2769000
14	191	Private	Agriculture	0.1065000(Hectare)	0.1065000
15	207	Private	Agriculture	0.0050000(Hectare)	0.0050000
Village: Wadki					
1	1199	Private	Agriculture	0.2080000(Hectare)	0.2080000
2	1202	Private	Agriculture	0.0116000(Hectare)	0.0116000
3	1232	Private	Agriculture	0.0735000(Hectare)	0.0735000
4	1233	Private	Agriculture	0.0681000(Hectare)	0.0681000
5	1286	Private	Agriculture	0.0122000(Hectare)	0.0122000
6	1288	Private	Agriculture	0.0198000(Hectare)	0.0198000
7	1289	Private	Agriculture	0.0104000(Hectare)	0.0104000
8	1290	Private	Agriculture	0.0376000(Hectare)	0.0376000
9	1295	Private	Agriculture	0.0023000(Hectare)	0.0023000
10	1298	Private	Agriculture	0.0379000(Hectare)	0.0379000
11	1299	Private	Agriculture	0.0634000(Hectare)	0.0634000

12	1300	Private	Agriculture	0.0490000(Hectare)	0.0490000
13	1301	Private	Agriculture	0.0057000(Hectare)	0.0057000
14	1308	Private	Agriculture	0.0035000(Hectare)	0.0035000
15	1310	Private	Agriculture	0.1281000(Hectare)	0.1281000
16	620	Private	Agriculture	0.0140000(Hectare)	0.0140000
17	621	Private	Agriculture	0.0006000(Hectare)	0.0006000
18	627	Private	Agriculture	0.1004000(Hectare)	0.1004000
19	789	Private	Agriculture	0.1844000(Hectare)	0.1844000
Total				2.1257	2.1257

[F. No. NHAI/PIU/PUNE/PALAKHI MARG/LA/2017/3A2]

RAJESH GUPTA, Director